न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–९, मुरादाबाद।

सत्र परीक्षण सं०–५७८/२०१५

राज्य बनाम सुमित आदि

२५–०५–२०२३:

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त नेमपाल व्यक्तिगत रूप से एवं पंकज उर्फ रविन्द्र जेरे हिरासत हाजिर है। अभियुक्त रामवीर को आगरा जेल से हाजिर नहीं कराया जा सका है। पत्रावली वास्ते सुनवाई/आदेश प्रार्थना पत्र १८८–ग नियत है।

उक्त प्रार्थनापत्र १८–८ग अन्तर्गत धारा–३१९ दं०प्र०सं०, द्वारा वादिनी श्रीमती पूनम देवी जरिये सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि प्रस्तुत मुकदमें की घटना कचहरी परिसर मुरादाबाद में हुई थी, जिसमें रामवीर, पंकज, नेमपाल, सुमित, निपेन्द्र व दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मृतक योगेन्द्र सिंह उर्फ भूरा की नृशंस हत्या की गयी थी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट वादिनी श्रीमती पूनम द्वारा लिखाई गयी थी, जिसमें उपरोक्त पांचों व्यक्तियों के नाम लिखाये गये थे। विवेचना के मध्य विवेचक द्वारा अभियुक्त निपेन्द्र का नाम निकाल दिया गया और उसके विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित नहीं किया गया। इसी मुकदमें में प्रस्तुत साक्षी श्रीमती पूनम – वादिनी मुकदमा(पी०डब्लू०–८) तथा चक्षुदर्शी साक्षीगण – अर्जुन (पी०डब्लू०–९), योगेश (पी०डब्लू०–११), गजेन्द्र (पी०डब्लू०–१२) ने न्यायालय समक्ष दिये गये अपने शपथपूर्वक कथनों में अभियुक्त निपेन्द्र का इस घटना में सम्मिलित होने का कथन किया है। न्याय की दृष्टि यह आवश्यक है कि अभियुक्त निपेन्द्र को तलब करके उसके विरूद्ध भी मुकदमें का विचारण किया जाये। दं०प्र०सं० की धारा–३१९ के प्राविधानों के अनुसार अभियुक्त निपेन्द्र को तलब कर, मुकदमा चलाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त निपेन्द्र पुत्र राकेश, निवासीः ग्राम भाऊपुरा, थाना टाण्डा, जिला रामपुर को धारा–३१९ दं०प्र०सं० के अन्तर्गत विचारण करने हेतु तलब करने की कृपा की जाये।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र १८८–ग अन्तर्गत धारा–३१९ दं०प्र०सं० के परिप्रेक्ष्य में पक्षों के अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी मुकदमा श्रीमती पूनम देवी पत्नी योगन्द्र सिंह उर्फ भूरा, निवासिनी–य–१८ नवीन नगर, थाना सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद की तरफ से लिखित तहरीर दिनांक २३.०२. २०१५ को थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद पर प्रेषित करते हुये यह कथन किया गया कि, ".... आज दिनांक २३.०२.२०१५ को वादिनी के पति, कचहरी परिसर में अपनी तारीख पर जिला कारागार मुरादाबाद से न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०–५, मुरादाबाद में समय करीब ११:१० बजे दिन में आये थे तथा वादिनी भी न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०–५, मुरादाबाद के बाहर पैरोकार के रूप में मौजूद थे। ठीक उसी समय जब वादिनी के पति न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०–५, मुरादाबाद के बाहर खडे हुये थे, तभी सुमित पुत्र रामवीर व रामवीर पुत्र अजब सिंह निवासीः नवेनी गद्दी, थाना हजरतनगर गढ़ी, जिला मुरादाबाद व नेमपाल पुत्र करन सिंह निवासीः गढ़ी भारतल, थाना हजरतनगर गढ़ी, मुरादाबाद व पंकज उर्फ रविन्द्र पुत्र छत्रपाल, निवासीः ग्राम ग्वारऊ थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद व निपेन्द्र पुत्र राकेश, निवासीः ग्राम भाऊपुरा, थाना टाण्डा, जिला रामपुर तथा दो अज्ञात व्यक्ति, नाम पता व सूरत शिनाख्त, जो सभी अपने अपने हथों में तंमचे, पिस्टल आदि हथियार लिये हुये थे, ने मेरे पति को देखते ही उन्हें जान से मारने की नियत से गोलियां चलानी शुरू कर दी, इससे मेरे पति गम्भीर रूप से घायल हो गये और

अदालत के बाहर अचेत होकर गिर पड़े। मेरे पति के साथ अर्जुन पुत्र सुरेन्द्र, निवासीः ग्राम हुमायूँपुर, भोजपुर, जिला मुरादाबाद व गजेन्द्र सिंह पुत्र भोले सिंह पता ग्राम हुमायूँपुर, थाना भोजपुर, जिला मुरादाबाद व अजय कुमार पुत्र करन सिंह निवासीः ग्राम समदपुर, थाना छजलैट, मुरादाबाद व योगेश कुमार पुत्र नरेश सिंह निवासीः ग्राम हुमायूँपुर, थाना भोजपुर, जिला मुरादाबाद भी पैरवी में आये हुये थे। साथ आये लोगों व पुलिस की मदद से सुमित व पंकज को मौके पर ही मय हथियारों के पकड़ लिया तथा अन्य लोग मौके से भाग गये.....”। वादिनी मुकदमा श्रीमती पूनम देवी की उपरोक्त तहरीर दिनांकित २३.०२.२०१५ के आधार पर सम्बन्धित थाना सिविल लाइन्स में दिनांक २३.०२.२०१५ को समय १२:५० पी०एम० दिन में अभियुक्तगण–सुमित, रामवीर, नेमपाल, पंकज उर्फ रविन्द्र, निपेन्द्र व दो अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध मु०अ०सं०: १०९ /२०१५ अन्तर्गत धारा १४७, १४८, १४९, ३०२ भा०दं०सं० तथा मु०अ०सं०: ११०/२०१५ अन्तर्गत धारा २५/२७ आयुध अधिनियम विरूद्ध अभियुक्त सुमित एवं मु०अ०सं०: १११/२०१५ अन्तर्गत धारा २५/२७ आयुध अधिनियम विरूद्ध अभियुक्त पंकज उर्फ रविन्द्र पंजीकृत हुआ।

प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा मु०अ०सं०: १०९/२०१५ के अन्तर्गत अभियुक्तगण सुमित, रामवीर, पंकज उर्फ रविन्द्र एवं नेमपाल के विरूद्ध धारा – १४७, १४८, १४९, व ३०२ भा०दं०सं० के तहत तथा मु०अ०सं०: ११०/२०१५ में अभियुक्त सुमित के विरूद्ध धारा २५ /२७ आयुध अधिनियम के तहत एवं मु०अ०सं०: १११/२०१५ में अभियुक्त पंकज उर्फ रविन्द्र के विरूद्ध धारा–२५/२७ आयुध अधिनियम के तहत आरोपपत्र प्रस्तुत किये गये, जिंन पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के पश्चात व सत्र सुपुर्द किये जाने के उपरान्त मु०अ०सं०: १०९ /२०१५ को सत्र विचारण सं०: ५७८/२०१५, धारा–१४७, १४८, १४९ व ३०२ भा०दं०सं० के रूप में एवं मु०अ०सं०: ११०/२०१५ को सत्र विचारण सं०: ५७९/२०१५ धारा २५/२७ आयुध अधिनियम के रूप में तथा मु०अ०सं०–१११/२०१५ को सत्र विचारण सं०: ५७७ /२०१५ धारा २५/२७ आयुध अधिनियम के रूप में दर्ज किये गये। तदोपरान्त न्यायालय द्वारा सत्र विचारण सं०: ५७८/२०१५, मु०अ०सं०: १०९/२०१५, राज्य बनाम रामवीर आदि में दिनांक २४.०६.२०१५ को अभियुक्तगण– सुमित, रामवीर, पंकज उर्फ रविन्द्र एवं नेमपाल के विरूद्ध धारा–१४७, १४८, ३०२/१४९ भा०दं०सं० के तहत एवं सत्र विचारण सं०: ५७९/२०१५, मु०अ०सं०–११०/२०१५ में अभियुक्त सुमित के विरूद्ध धारा–२५/२७ आयुध अधिनियम के तहत एवं सत्र विचारण सं०: ५७७ /२०१५, मु०अ०सं०– १११/२०१५,में अभियुक्त पंकज उर्फ रविन्द्र के विरूद्ध धारा–२५/२७ आयुध अधिनियम के तहत आरोप विरचित किया गया। आरोप विरचन के पश्चात प्रस्तुत प्रकरण में तीनों सत्र विचारण की पत्रावलियों के, एक ही अपराध व एक ही घटना से सम्बंधित होने के कारण, न्यायालय द्वारा दिनांक ०५.१०.२०१५ को समेकित करते हुये, सत्र विचारण सं०: ५७८/२०१५, धारा–१४७, १४८, ३०२/१४९ भा०दं०सं०, राज्य बनाम रामवीर सिंह आदि की पत्रावली को अग्रणी पत्रावली बनाते हुये, साक्ष्य आदि की समस्त कार्यवाही इस अग्रणी पत्रावली में ही सम्पन्न करायी गयी। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त दिनांक ३१.०१.२०२३ को अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–३१३ दं०प्र०सं० अभिलिखित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अपना सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किये जाने के कारण, अभियुक्त पक्ष को सफाई साक्ष्य का अवसर पर्याप्त रूप से अनुदत्त करने के उपरान्त भी, जब अभियुक्त पक्ष की तरफ से सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तो न्यायालय द्वारा दिनांक १५.०२.२०२३ को अभियुक्त पक्ष के सफाई साक्ष्य का अवसर समाप्त कर, पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया तथा दिनांक २१.०२.२०२३ को प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा पक्षों की आंशिक बहस सुनने के

उपरान्त, उसी दिन लंच बाद वादिनी मुकदमा श्रीमती पूनम देवी की ओर से उपरोक्त प्रार्थना पत्र १८८–ग अन्तर्गत धारा–३१९ दं०प्र०सं० प्रस्तुत करते हुये नामजद अभियुक्त निपेन्द्र पुत्र राकेश कुमार को तलब किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादिनी मुकदमा द्वारा दिनांक २३.०२.२०१५ को थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद में प्रेषित अपनी लिखित तहरीर में स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण– सुमित, रामवीर, नेमपाल व पंकज उर्फ रविन्द्र के साथ ही साथ अभियुक्त निपेन्द्र पुत्र राकेश निवासीः ग्राम भाऊपुरा, थाना टाण्डा, जिला रामपुर को भी नामजद अभियुक्त बनाते हुये, इन सभी लोगों द्वारा मिलकर अपने पति योगेन्द्र सिंह उर्फ भूरा पर गोलियां बरसाते हुये, दिनांक २३.०२.२०१५ को समय ११:१० बजे दिन में न्यायालय परिसर में ही उसकी हत्या करने का आरोप लगाया गया, जिसके आधार पर सम्बन्धित थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद में पंजीकृत हुये मु०अ०सं०–१०९/२०१५, धारा–१४७, १४८, १४९, ३०२ भा०दं०सं० में भी अभियुक्तगण– सुमित, रामवीर, नेमपाल, पंकज उर्फ रविन्द्र के साथ ही साथ अभियुक्त निपेन्द्र को भी घटना का नामजद अभियुक्त बनाते हुये, प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत होने के उपरान्त, विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा लिये गये धारा १६१ दं०प्र०सं० के बयानों में भी वादिनी मुकदमा श्रीमती पूनम देवी पत्नी योगेन्द्र सिंह व अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण– संजीव चौधरी पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह, अर्जुन पुत्र सुरेन्द्र सिंह, गजेन्द्र पुत्र भोले सिंह, अजय कुमार पुत्र करन सिंह व योगेश कुमार पुत्र नरेश सिंह द्वारा स्पष्ट रूप से अभियुक्त सुमित, रामवीर, नेमपाल, व पंकज उर्फ रविन्द्र के साथ ही साथ, अभियुक्त निपेन्द्र पुत्र राकेश निवासीः ग्राम भाऊपुरा, थाना–टाण्डा, जिला रामपुर द्वारा भी घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित होकर, अभियुक्त योगेन्द्र सिंह उर्फ भूरा को जान से मारने की नियत से उस पर आग्नेयास्त्र से गोलियां बरसाते हुये, उसकी हत्या कारित करने सम्बन्धी तथ्यों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है।

न्यायालय में अभियोजन पक्ष की तरफ से अपने अभियोजन कथानक को साबित एवं प्रमाणित कराये जाने हेतु परीक्षित करायी गयी **तथ्य की एवं घटना की चक्षुदर्शी साक्षी श्रीमती पूनम देवी (पी०डब्लू०–८),** जो कि स्वयं वादिनी मुकदमा भी है, द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने मुख्य परीक्षा के सशपथ साक्ष्य में यह अभिकथित किया गया है कि, ".....तभी सुमित पुत्र रामवीर सिंह, रामवीर सिंह पुत्र अजब सिंह निवासीगणः ग्राम नवेनी गद्दी, नेमपाल पुत्र करन सिंह निवासीः ग्राम गढ़ी भारतल, पंकज उर्फ रविन्द्र पुत्र छत्रपाल सिंह, निवासीः ग्राम ग्वारऊ, निपेन्द्र पुत्र राकेश निवासीः ग्राम भाऊपुरा, थाना–टाण्डा, जिला रामपुर व दो व्यक्ति अन्य आये और सुमित ने मेरे पति पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। जब तक कुछ समझ पाते, तब तक अन्य सभी लोगों ने भी मेरे पति पर ताबड़तोड़ फायर करने शुरू कर दिये, जिससे मेरे पति गम्भीर रूप से घायल हो गये और अदालत के बाहर ही अचेत होकर गिर पड़े। मेरे साथ जेठ आदि उनको लेकर आये। पुलिस वाले व वहॉ पर मौजूद पुलिस वालों ने व अन्य लोगो ने सुमित व पंकज को असलहों व कारतूसों सहित मौके पर ही पकड़ लिया। इसी दौरान भगदड में रामवीर, निपेन्द्र, नेमपाल व दो अज्ञात व्यक्ति मौके से भाग गये....."।

अभियोजन की तरफ से ही **बतौर पी०डब्लू०–९** परीक्षित कराये गये **चक्षुदर्शी साक्षी अर्जुन सिंह** द्वारा भी न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने मुख्य परीक्षा के सशपथ साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से अभिकथित किया गया है कि, ".....समय लगभग ११:१० बजे दिन में सुमित, पंकज, रामवीर सिंह, नेमपाल, निपेन्द्र व दो अन्य अज्ञात लोग मेरे चाचा के पास आये थे। इनके हाथ में तंमचे, पिस्टल व अन्य हथियार थे। आते ही सुमित ने मेरे चाचा को जान से मारने की नीयत से फायर किया एवं अन्य आये सभी लोगों ने मेरे चाचा को जान से

मारने की नीयत से मेरे चाचा के ऊपर ताबड़तोड़ फायर किये तथा पंकज उर्फ रविन्द्र ने उनके साथ मिलकर मेरे चाचा पर पिस्टल से फायर किये और मेरे चाचा घायल होकर गम्भीर अवस्था में बेंच से नीचे गिर गये। वहॉ पर मौजूद हम लोगों व कोर्ट मोहर्रिर आदि की मदद से सुमित व पंकज को मय हथियार व कारतूस सहित मौके पर ही पकड़ लिया था। मौके पर पुलिस वालों ने सुमित व पंकज को कब्जे में लिया था। बाकी लोग भगदड़ का फायदा उठाकर भाग गये.....”।

अभियोजन पक्ष की तरफ से ही परीक्षित तथ्य के साक्षी **पी०डब्लू०–११ योगेश कुमार** द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने सशपथ मुख्य परीक्षा के साक्ष्य में यह अभिकथित किया गया है कि, “.....उसी समय सुमित पुत्र रामवीर, रामवीर पुत्र अजब सिंह, नेमपाल पुत्र करन सिंह, पंकज उर्फ रविन्द्र, निपेन्द्र पुत्र राकेश तथा दो अज्ञात व्यक्ति आये। सुमित ने मेरे चाचा योगेन्द्र सिंह उर्फ भूरा से कहा कि चाचा नमस्ते और पैर छुते हुये पीछे हटकर खड़े होते ही तमंचा निकालकर योगेन्द्र सिंह उर्फ भूरा को गोली मार दी। हम कुछ समक्ष पाते इतने में ही पंकज उर्फ रविन्द्र ने पिस्टल से उनके ऊपर ताबडतोड फायरिंग कर दी, रामवीर, नेमपाल, निपेन्द्र तथा दो अज्ञात व्यक्तियों ने भी योगेन्द्र सिंह उर्फ भूरा पर जान से मारने की नीयत से फायर किये, जिनके लगते ही योगेन्द्र उर्फ भूरा बेंच से नीचे गिर पड़े। हम सब ने व सुरक्षा में आये पुलिस वालो ने, न्यायालय में मौजूद पुलिस की मदद से तुरन्त ही सुमित व पंकज को असलहा सहित मौके पर पकड़ लिया और पुलिस को सुपुर्द कर दिया। इसी दौरान भगदड़ में मौके का फायदा उठाकर रामवीर, निपेन्द्र, नेमपाल व दो अज्ञात व्यक्ति भाग गये.....”।

इसी प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से **बतौर पी०डब्लू०–१२ परीक्षित साक्षी गजेन्द्र सिंह**, जो घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, द्वारा भी न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने मुख्य परीक्षा के सशपथ साक्ष्य में यह अभिकथित किया गया कि, “.....उसी समय सुमित पुत्र रामवीर व रामवीर पुत्र अजब सिंह निवासीः नवेनी गद्दी, नेमपाल पुत्र करन सिंह, निवासीः गढ़ी भारतल व पंकज उर्फ रविन्द्र पुत्र छत्रपाल निवासीः ग्राम ग्वारऊ तथा निपेन्द्र पुत्र राकेश निवासीः ग्राम भाऊपुरा तथा दो अज्ञात व्यक्ति आये। सुमित ने भूरा प्रमुख से कहा कि चाचा नमस्ते व पैर छुये तथा पीछे होकर खड़े होते ही तमन्चा निकालकर भूरा प्रमुख को गोली मार दी, हम कुछ समक्ष पाते कि इतने में पंकज उर्फ रविन्द्र ने पिस्टल से भूरा के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की, रामवीर, नेमपाल, व निपेन्द्र तथा अज्ञात दोनों व्यक्तियों ने भूर प्रमुख पर जान से मारने की नियत से फायर किया, जिसके लगते ही भूरा प्रमुख बेंच से नीचे गिर गया। हम सब ने व सुरक्षा में आये पुलिस वालों, न्यायालय में आयी पुलिस की मदद से एकदम सुमित व पंकज को असलहा व कारतूस सहित मौके पर पकड़ लिया, पुलिस को सुपर्द कर दिया। इसी दौरान भगदड़ में रामवीर, निपेन्द्र, नेमपाल व अज्ञात दोनों व्यक्ति भाग गये। मैंने अपने साथ आये लोगों व अन्य लोगों की मदद से भूरा प्रमुख को ऊपर से उतारकर, इलाज हेतु कॉसमास अस्पताल ले गये तथा रास्ते में भूरा प्रमुख की मौत हो गयी.....”।

इस प्रकार उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती पूनम देवी द्वारा घटना के पश्चात थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद में दिनांक २३.०२.२०१५ को प्रेषित **लिखित तहरीर प्रर्दश क–५** एवं घटना की चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में विवेचक के समक्ष धारा–१६१ दं०प्र०सं० के तहत **साक्षीगण**–श्रीमती पूनम देवी, अर्जुन सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह, गजेन्द्र सिंह पुत्र भोले सिंह व योगेश कुमार द्वारा अंकित कराये गये अपने–अपने बयानों में एवं न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित होने के उपरान्त एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने के पश्चात, बतौर अभियोजन साक्षी परीक्षित होने पर, साक्षी पी०डब्लू०–८ श्रीमती पूनम देवी (वादिनी मुकदमा), पी०डब्लू०–९ अर्जुन सिंह (चक्षुदर्शी साक्षी), पी०डब्लू०–११

योगेश कुमार (चक्षुदर्शी साक्षी) व पी०डब्लू०–१२ गजेन्द्र सिंह (चक्षुदर्शी साक्षी), द्वारा स्पष्ट रूप से घटना के दिनांक अर्थात २३.०२.२०१५ को समय लगभग ११:१० दिन में घटना स्थल– न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०–५, मुरादाबाद के सामने स्थित बरामदा में, घटना के कारित किये जाते समय, अभियुक्तगण– सुमित पुत्र रामवीर, रामवीर पुत्र अजब सिंह, नेमपाल सिंह, पंकज उर्फ रविन्द्र के साथ ही साथ प्रस्तावित अभियुक्त निपेन्द्र पुत्र राकेश निवासीः ग्राम भाऊपुरा, थाना टाण्डा, जिला रामपुर के भी असलहा के साथ उपस्थित होने एवं मृतक भूरा उर्फ योगेन्द्र सिंह पर, उसे जान से मारने के आशय से फायर करने एवं उक्त फायर के पश्चात अभियुक्त योगेन्द्र सिंह उर्फ भूरा का गम्भीर रूप से घायल होकर बेंच से गिर जाना तथा इलाज हेतु कॉसमास हास्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही उक्त मृतक योगेन्द्र सिंह उर्फ भूरा की मृत्यु हो जाने सम्बन्धी तथ्यों को स्पष्ट रूप से पुष्ट एवं प्रमाणित किया गया है, यद्यपि कि विवेचक द्वारा अभियुक्त निपेन्द्र पुत्र राकेश निवासीः ग्राम भाऊपुरा, थाना टाण्डा, जिला रामपुर, की घटना के वक्त घटना स्थल के बजाय अन्यत्र अर्थात मदर इण्डिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्वार, रामपुर, में बतौर शिक्षक उपस्थित रहने के आधार पर, उसकी घटना में संलिप्तता एवं नामजदगी को गलत पाते हुये, उसके विरूद्ध न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित नहीं किया गया।

यहॉ पर यह उल्लेखनीय है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–३१९ में यह स्पष्ट रूप से उपबन्धित किया है कि–

(१) जहॉ किसी अपराध की जॉच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है, जिसके लिये ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहॉ न्यायालय उस व्यक्ति के विरूद्ध, उस अपराध के लिये, जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है।

(२) जहॉ ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है, वहॉ पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षानुसार गिरफ्तार या समन किया जा सकता है।

(३) कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार या समन न किये जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है, ऐसे में न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिये, जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, जॉच या विचारण के प्रयोग के लिये निरूद्ध किया जा सकता है।

(४) जहॉ न्यायालय किसी व्यक्ति के विरूद्ध उपधारा (१) के अधीन कार्यवाही करता है, वहॉ –

(क) उस व्यक्ति के बारे में कार्यवाही फिर से प्रारम्भ की जायेगी और साक्षियों को फिर सुना जायेगा,

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धो के अधीन रहते हुये, मामले में ऐसे कार्यवाही की जा सकती है, मानो वह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था, जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था, जिस पर जांच या विचारण प्रारम्भ किया गया था।

यहॉ पर यह उल्लेखनीय है कि धारा–३१९ दं०प्र०सं० में यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया गया है कि जांच या विचारण (न कि अन्वेषण) के दौरान साक्ष्य से यदि यह प्रतीत होता है कि, किसी भी व्यक्ति ने, जो कि अभियुक्त न हो, कोई ऐसा अपराध किया है, जिसके लिये उसका विचारण अन्य अभियुक्त के साथ किया जा सकता है, वहॉ न्यायालय उस व्यक्ति के विरूद्ध भी कार्यवाही कर सकता है अर्थात विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष आये हुये साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा यह अवधारणा की जानी चाहिये (*न कि धारा १६१ दं०प्र०सं० के बयानों के आधार पर*) कि किसी व्यक्ति, जो कि तत्समय अभियुक्त नहीं है, द्वारा कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसके लिये उसका विचारण भी, पूर्व अभियुक्त के साथ किया जा सकता है, वहॉ न्यायालय उस व्यक्ति के विरूद्ध भी

कार्यवाही किये जाने हेतु अग्रसर हो सकता है अर्थात उसे तलब कर सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा ३१९ दं०प्र०सं० की प्रयोज्यता हेतु केवल और केवल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पर ही विचार किया जा सकता है, न कि इसके इतर केस डायरी या चार्जशीट में उल्लिखित अभिकथनों पर। इस सम्बन्ध में **माननीय उच्चतम न्यायालय कि सम्मानित विधि व्यवस्थाः** ***राजेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र० राज्य ए०आई०आर० २००७ एस०सी० २७८६*** बेहद महत्वपूर्ण व प्रासंगिक है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि,".....***Only evidence led before the Court can be taken into consideration at the time of the disposal of the application under section 319 of the Cr.P.C.. Materials contained in the case diary or charge sheet can not be looked into at that stage as they do not constitute evidence.....***"।

जहॉ तक विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा प्रस्तावित अभियुक्त निपेन्द्र पुत्र राकेश निवासीः ग्राम भाऊपुरा, थाना टाण्डा, जिला रामपुर के, घटना के वक्त घटना स्थल पर उपस्थित न होकर बल्कि अन्यत्र (मदर इण्डिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्वार, रामपुर) उपस्थिति के आधार पर, उसकी नामजदगी/ घटना स्थल पर मौजूदगी को गलत पाते हुये उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित न किये जाने सम्बन्धी तथ्य का प्रश्न है, तो इस परिप्रेक्ष्य में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्थाः** ***Y. Saraba Reddy Vs Puthur Rami Reddy 2007 (3) A.Cr.R 2438 (SC) (Three Judge Bench)*** में माननीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्णीत किया गया है कि,"..... ***Satisfaction of the investigating officer on alibi of accused should not be given primacy over summoning of accused u/s 319 Cr.P.C. otherwise the very purpose of Sec. 319 Cr.P.C. would be frustrated.....***"। माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धान्त का अनुपालन **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की सम्मानित विधि व्यवस्था** –***कृष्ण कुमार राय बनाम उ०प्र० राज्य, २००९(१) ए०सी०आर० ४१४ (इला०)*** में भी किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी मुकदमा श्रीमती पूनम देवी द्वारा घटना के पश्चात, घटना के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाना सिविल लाइन्स मुरादाबाद में दिनांक २३.०२.२०१५ को प्रेषित लिखित तहरीर में उल्लिखित तथ्यों एवं **अभियोजन साक्षीगण**– पी०डब्लू०–८ श्रीममी पूनम देवी (वादिनी मुकदमा), पी०डब्लू०–९ अर्जुन सिंह (चक्षुदर्शी साक्षी), पी०डब्लू०–११ योगेश कुमार (चक्षुदर्शी साक्षी) व पी०डब्लू०–१२ गजेन्द्र सिंह (चक्षुदर्शी साक्षी) के न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने–अपने सशपथ साक्ष्य में अभिकथित किये गये अभिकथनों से, घटना के दिनांक अर्थात दिनांक २३.०२.२०१५ को समय लगभग ११:१० बजे दिन में घटना स्थल–न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०–५, मुरादाबाद के सामने स्थित बरामदा में, अभियुक्तगण– सुमित, रामवीर, नेमपाल, पंकज उर्फ रविन्द्र के साथ ही साथ प्रस्तावित अभियुक्त निपेन्द्र पुत्र राकेश निवासीः ग्राम भाऊपुरा, थाना टाण्डा, जिला रामपुर का भी घातक आयुध अर्थात आग्नेयास्त्र से सज्जित होकर, बलवा कारित करते हुये, अपने सबके सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में, मृतक योगेन्द्र सिंह उर्फ भूरा को जान से मारने के आशय से, उस पर आग्नेयास्त्र से फायर करते हुये, उसे गम्भीर रूप से घायल कर, उसकी हत्या कारित करने सम्बन्धी तथ्य, प्रथम दृष्टया पुष्ट एवं प्रमाणित होते हुये पाये जा रहे है। अतः प्रस्तावित अभियुक्त निपेन्द्र पुत्र राकेश निवासीः ग्राम भाऊपुरा, थाना टाण्डा, जिला रामपुर को भी, उपरोक्त विश्लेषणानुसार, धारा– १४७, १४८, १४९, ३०२ भा०दं०सं० के तहत विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य पाया जा रहा है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं

परिस्थितियों में वादिनी मुकदमा श्रीमती पूनम देवी की ओर से प्रस्तुत किया गया उपरोक्त प्रार्थनापत्र १८८–ग अन्तर्गत धारा–३१९ दं०प्र०सं० न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र १८८–ग अन्तर्गत धारा–३१९ दं०प्र०सं० तद्नुसार स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त निपेन्द्र पुत्र राकेश निवासीः ग्राम भाऊपुरा, थाना टाण्डा, जिला रामपुर को धारा–१४७, १४८, १४९, ३०२ भा०दं०सं० के तहत विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार समन जारी हो।

यहॉ पर यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत सत्र विचारण सं०ः ५७८ /२०१५ की पत्रावली, अत्यन्त प्राचीन सत्र विचारण की पत्रावली है, जिसमें पूर्व से तलबशुदा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचन के पश्चात, अभियोजन पक्ष की तरफ से समस्त अभियोजन साक्षीगण (कुल–१३ साक्षी) को परीक्षित कराते हुये, अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा ३१३ दं०प्र०सं० अंकित होने के पश्चात, पत्रावली में पक्षकारों की आंशिक बहस तक सुनी जा चुकी है तथा प्रकरण को शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश भी निर्गत चल रहे हैं। ऐसी दशा में न्यायालय के मत में धारा–३१९ दं०प्र०सं० के तहत तलबशुदा अभियुक्त निपेन्द्र पुत्र राकेश निवासीः ग्राम भाऊपुरा, थाना टाण्डा, जिला रामपुर की पत्रावली, अन्य अभियुक्तगण से पृथक करते हुये, उक्त पृथकशुदा पत्रावली में, उपरोक्त तलबशुदा अभियुक्त निपेन्द्र की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुये उसका विचारण पृथक रूप से किया जाना उचित व न्यायसंगत होगा। तदनुसार कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह तलबशुदा अभियुक्त निपेन्द्र की पत्रावली को, पूर्व अभियुक्तगण की पत्रावली से पृथक करते हुये, उक्त पृथकशुदा पत्रावली को नियमानुसार दर्ज कराते हुये, उक्त पत्रावली मे तलबशुदा अभियुक्त निपेन्द्र पुत्र राकेश निवासीः ग्राम भाऊपुरा, थाना टाण्डा, जिला रामपुर के विरूद्ध, उसकी हाजिरी हेतु समन जारी करना सुनिश्चित करे। पूर्व अभियुक्तगण के विरूद्ध सत्र विचारण संख्याः ५७८ /२०१५ की कार्यवाही यथावत जारी रहेगी। पत्रावली वास्ते शेष बहस दिनांक २९.०५.२०१५ को पेश हो। अभियुक्त रामवीर आगरा जेल से तलब हो।

दिनांकः २५.०५.२०२३

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–९, मुरादाबाद।

Digitally signed by Raghubar Singh
Date: 2023.05.25 15:02:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court